भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1979

दिनांक 17.12.2013/ 26 अग्रहायण, 1935 (शक) को उत्तर के लिए

फर्जी मुठभेड़ें

†1979. श्री रमेन डेका :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देश के विभिन्न भागों में पायी गई फर्जी मुठभेड़ों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान असम सहित राज्य-वार सूचित की गई फर्जी मुठभेड़ों और गिरफ्तार किए गए आरोपियों, दोषसिद्धों कुल संख्या कितनी है और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह)

(क) : जी, हां।

(ख) : विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में दिनांक 15.11.2013 तक के दौरान पुलिस कार्रवाई में मृत्यु/कथित फर्जी मुठभेड़ में मृत्यु के बारे में एनएचआरसी से प्राप्त सूचना के आधार पर पंजीकृत मामलों की संख्या और उनकी स्थिति के राज्यवार विवरण अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।

आयोग गिरफ्तार और दोषसिद्ध अभियुक्तों के पृथक रूप से कोई रिकार्ड नहीं रखता है।

उक्त अवधि के दौरान अग्रेनीत मामलों सहित मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में संस्तुत आर्थिक राहत को दर्शाने वाला राज्यवार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है। तथापि, उपर्युक्त अवधि के दौरान आयोग ने किसी भी मामले में गलती करने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई/अभियोजन चलाने की सिफारिश नहीं की थी।

(ग): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस संबंध में चिंता प्रकट की है और उसके द्वारा दिनांक 12.05.2010 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें पुलिस कार्रवाई के दौरान हुई मृत्यु के सभी मामलों में अपनायी जाने वाली संशोधित प्रक्रिया संसूचित की गई थी। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। इसलिए, हालांकि इस संबंध में परामर्शी-पत्र केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, तथापि, प्रत्येक अपराध में कार्रवाई करना राज्य सरकारों का कार्य है।.

अनुलग्नक-I
दिनांक 17.12.2013 के लोक सभा अ.ता.प्र.सं. 1979 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में 15.11.2013 तक की अवधि के दौरान पुलिस कार्रवाई/फर्जी मुठभेड़ में हुई मृत्यु के बारे में प्राप्त सूचना के आधार पर पंजीकृत मामलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2010-2011			2011-2012			2012-2013			2013-2014		
	पंजीकृत कुल मामले	निपटान किए गए	लंबित	पंजीकृत कुल मामले	निपटान किए गए	लंबित	पंजीकृत कुल मामले	निपटान किए गए	लंबित	पंजीकृत कुल मामले	निपटान किए गए	लंबित
अं. और नि. द्वीपसमूह	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
आन्ध्र प्रदेश	11	8	3	8	0	8	5	1	4	1	0	1
अरुणाचल प्रदेश	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
असम	54	38	16	62	6	56	49	3	46	24	0	24
बिहार	7	6	1	2	1	1	2	0	2	3	0	3
छत्तीसगढ़	8	5	3	3	0	3	19	3	16	13	0	13
दिल्ली	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
गुजरात	1	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
हरियाणा	1	0	1	2	1	1	2	0	2	3	0	3
जम्मू और कश्मीर	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
झारखंड	7	6	1	8	0	8	12	0	12	7	0	7
कर्नाटक	8	3	5	1	0	1	3	0	3	0	0	0
केरल	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	4	0	4	5	1	4	10	3	7	3	0	3
महाराष्ट्र	8	1	7	1	0	1	5	1	4	0	0	0
मणिपुर	4	1	3	16	0	16	12	0	12	1	0	1
मेघालय	6	4	2	5	0	5	16	0	16	4	0	4
ओडिशा	10	6	4	5	0	5	8	2	6	9	0	9
पंजाब	2	2	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2
राजस्थान	5	1	4	3	0	3	3	1	2	0	0	0
तमिलनाडु	4	3	1	2	1	1	3	0	3	1	0	1
त्रिपुरा	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	42	23	19	19	4	15	8	1	7	2	0	2
उत्तराखंड	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प.बंगाल	9	4	5	4	2	2	5	0	5	1	0	1
कुल	196	116	80	150	16	134	168	15	153	80	0	80

अनुलग्नक-।।

दिनांक 17.12.2013 के लोक सभा अ.ता.प्र.सं. 1979 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में 15.11.2013 तक की अवधि के दौरान पुलिस द्वारा मुठभेड़ में हुई मृत्यु (सूचना और कथित) के संबंध में दर्ज ऐसे मामलों को दर्शाने वाला विवरण जिनमें एनएचआरसी ने आर्थिक राहत, अनुशासनिक कार्रवाई और अभियोजन चलाने की सिफारिश की।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामलों की संख्या	धनराशि (रू. में)	अनुशासनिक कार्रवाई	अभियोजन
आन्ध्र प्रदेश	4	2,000,000	0	0
असम	28	19,500,000	0	0
बिहार	5	4,000,000	0	0
छत्तीसगढ़	6	3,500,000	0	0
दिल्ली	2	1,000,000	0	0
गुजरात	1	500,000	0	0
हरियाणा	4	3,250,000	0	0
झारखंड	6	4,000,000	0	0
कर्नाटक	1	500,000	0	0
मध्य प्रदेश	4	1,700,000	0	0
महाराष्ट्र	11	5,500,000	0	0
मणिपुर	5	3,100,000	0	0
मेघालय	3	1,800,000	0	0
ओडिशा	1	500,000	0	0
पंजाब	1	1,000,000	0	0
राजस्थान	2	1,550,000	0	0
उत्तर प्रदेश	111	66,600,000	0	0
उत्तराखंड	13	10,100,000	0	0
कुल	208	130,100,000	0	0